भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-81
उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाना

†81. **श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाकर प्रति जिला कम से कम तीन केंद्रीय विद्यालय करने, जो देश के गरीब लोगों के बच्चों के लिए लाभकारी है, के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने कर्नाटक के चिकमगलुरु जिले में स्थित बालेहोन्नूर के केंद्रीय विद्यालय में कर्मचारियों की कमी और प्रधानाध्यापक के रिक्त पद के संबंध में अभिभावकों की चिंताओं पर ध्यान दिया है; और
(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त केंद्रीय विद्यालय में पूर्णकालिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): वर्तमान में, देशभर में 1289 केंद्रीय विद्यालय कार्यात्मक हैं, जिनमें 03 विदेश में हैं। नए केंद्रीय विद्यालय (केवि) खोलना एक सतत प्रक्रिया है। केंद्रीय विद्यालय पूरे देश में शिक्षा का एक समान कार्यक्रम उपलब्ध कराते हुए मुख्य रूप से रक्षा एवं अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों सहित स्थानांतरणीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं और ये ज़िले की भौगोलिकता के आधार पर सेवा क्षेत्र स्कूल नहीं हैं। नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रशासनों द्वारा प्रायोजित किए जा सकते हैं, जिसमें मानदंडों के अनुसार नए केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए भूमि और अस्थायी आवास सहित अपेक्षित संसाधन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता शामिल होगी। केंद्रीय विद्यालय क्षेत्र वार/तहसील वार/ज़िला वार/राज्य वार नहीं खोले जाते हैं। बढ़ती हुई आवश्यकता के आधार पर भारत सरकार ने वर्ष

2024 में, 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने और एक मौजूदा केंद्रीय विद्यालय का विस्तार करने एवं वर्ष 2025 में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी है।

(ख) और (ग): नए केंद्रीय विद्यालय खुलने, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, कर्मचारियों की पदोन्नति, स्थानांतरण, कर्मचारियों के दूसरे विभाग में ग्रहणाधिकार पर जाने और स्कूलों के उन्नयन की वजह से रिक्तियाँ होती रहती हैं। रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है और प्रासंगिक भर्ती नियमों के अनुसार रिक्तियों को भरने के प्रयास किए जाते हैं। बाधारहित शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन अल्पावधि के लिए अनुबंध पर भी शिक्षकों की नियुक्ति करता है।

*****